उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-36/2022/आई/133745/41-1002(002)/2/2021
लखनऊ:: दिनांक 19 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-024/2022/आई/130602/41-1002(002)/2/2021, दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रस्तर-4 में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 250.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) के स्थान पर रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 08 जनवरी, 2022 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-03 व 04 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।